दिल्ली परिवहन निगम

(रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट : नई दिल्ली–2
राजभाषा विभाग (मुख्यालय)

संख्या–रा0भा0वि0–10(1)/हिं0प्रतियो0/2019/51 दिनांकः 07/08/2019

विषयः– विविध हिन्दी प्रतियोगितायें 2019–2020 के संबंध में।

संदर्भः श्री संजय जैन, उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग) दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली पत्र सं0–फा0–08 (02) /2019–20/क0सं0 एवं भाषा–1163–1263 दिनांक 16–07–2019

महोदय,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिए भाषा विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। इसी कम में *दिनांक 16–09–2019, से 20–09–2019 तक* हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नप्रकार से हैः––

दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	उपस्थित होने का समय	स्थान
16–09–2019	हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता वर्ग 'क', 'ख', 'ग', तथा 'घ'	3.00 बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं0–1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
17–09–2019	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग 'क','ख', 'ग', तथा 'घ'	–वही–	–वही–
18–09–2019	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग 'क' 'ख', तथा 'ग'	–वही–	–वही–
19–09–2019	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	1– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले)
20–09–2019	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	–वही–

निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ निवेदन है कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने *आवेदन–पत्र उचित माध्यम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न है) में भरकर दिनांक 07–09–2017 तक या उससे पहले उपर्युक्त पते पर सीधे ही कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सचिवालय को भिजवा दें और कर्मचारी को सीधे प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए प्रतियोगिता केन्द्र पर उपस्थित होने की अनुमति भी प्रदान करें*। कर्मचारियों की सूचनार्थ इस पत्र को नोटिस बोर्ड आदि पर भी लगवाएं।

ITD HQ/19/1650
8-8-19

विशेष टिप्पणीः– *आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि प्रतियोगिता में अपना नाम भिजवाने से पूर्व कृपया संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें।*

इस बार भी कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटरपर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी उपरोक्त पते पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पूर्वाह्न 10.30 बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। परीक्षा का परिणाम संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीपः संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in *पर देखी जा सकती है।*

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

धर्मपाल 07/08/19.
(धर्मपाल)
प्रशिक्षक हिन्दी)

सभी यूनिट/अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिः– 1– श्री संजय जैन, उप–सचिव *(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग) नई दिल्ली* के पत्र सं0–फा0–08 (02) 2019–20/क0सं0 एवं भाषा–1163–1263 दिनांक 16–07–2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत।

प्रतिलिपिः– 2– प्रभारी, प्रबन्ध निदेशक कार्यालय को उनके एफएमएस डायरी सं0–डीआर/19/11532 दिनांक 23–7–19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– 3– मुख्य महाप्रबन्धक (हिन्दी) महोदय को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– 4– उप मुख्य महाप्रबन्धक (आई0टी0) मुख्यालय को कृपया निगम की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

बी0 बी0 एम0 डिपो पीसिए

Scanned by CamScanner

विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2019–2020)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना नाम **कार्यालयाध्यक्ष, कला,संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बी–विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली** के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे ।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

4. **हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी तथा डिक्टेशन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण अनिवार्य रूप से 40 मिनट टाइप करके प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।**

5. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र नहीं दिया जाएगा।

6. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

7. कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा दिनांक **19.09.2019 एवं 20.09.2019** को **कम्प्यूटर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नौवां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 में होगी।**

9. **हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा जो 100 अंकों का होगा और समयावधि 45 मिनट होगी। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों के निबंध के शब्दों की संख्या कम से कम 350शब्द होनी चाहिए। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति आदि मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग ''क'' में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग ''ख'' चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

Scanned by CamScanner

(89)

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

10. **हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे । मूल्यांकन भाषा–शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगें:–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सामान्य वर्ग के अन्य समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग" चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iv) वर्ग "घ" समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित है।

11. **हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–**

(i) वर्ग "क" में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख":– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समस्त कर्मचारी।

(iii) वर्ग "ग":– समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

12. **प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :–**

प्रथम पुरस्कार	(एक)	4000/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	3000/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	2000/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पांच)	800/–रूपये

13. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये है तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

14. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

15. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

16. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी स्कूल के अध्यापकगण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे।

17. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

18. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।

19. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

Scanned by CamScanner